2025/545

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

सरोज कंवर बनाम तहसीलदार धोद

किस्म मुकदमा 136 LR मु.नं. 262 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र	
30-07-25	प्रार्थीया सरोज कंवर पुत्री रिछपाल सिंह पत्नी भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बिंजासी तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने के अनुसार वाके ग्राम बिंजासी तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 373, 94 व 319 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्ठियां क्रमशः चान्दकंवर पुत्री रिछपाल सिंह, चान्दकंवर पुत्री रिछपालसिंह, सरोज कंवर उर्फ चान्दकंवर पुत्री रिछपालसिंह दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थीया के नाम की सही प्रविष्ठि सरोज कंवर पुत्री रिछपाल सिंह है। प्रार्थीया के नाम से बने आधार कार्ड, पैनकार्ड, परिवार राशनकार्ड व मतदाता पहचान–पत्र आदि की प्रस्तुत प्रतियों में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्ठियां सरोज कंवर पुत्री रिछपाल सिंह पत्नी भंवर सिंह अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्ठियां चान्दकंवर पुत्री रिछपाल सिंह/चान्दकंवर पुत्री रिछपालसिंह/सरोज कंवर उर्फ चान्दकंवर पुत्री रिछपालसिंह के स्थान पर सरोज कंवर पुत्री रिछपाल सिंह दुरूस्त किया जावें। प्रकरण में प्रार्थीया के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1215 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, धोद की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बिंजासी तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 373, 94 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्ठियां चान्दकंवर पुत्री रिछपालसिंह के स्थान पर सरोज कंवर उर्फ चान्दकंवर पुत्री रिछपाल सिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1215 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.05 16:19:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला–सीकर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner